

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक २९४५ / अलीगढ़ / 14131 / 2015, अलीगढ़: दिनांक: फरवरी, ०३- ,2019

सेवामें,

प्रभागीय प्रबन्धक,
नायरा एनर्जी लि० (पूर्व में-एस्सार ऑयल लि०),
प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस,
सैक्टर 16बी, आवास विकास,
सिकन्द्रा योजना, आगरा।

विषय:-

अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम०डी०आर०-105) किमी० चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं०- 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 1472/11-सी-अलीगढ़/14131/2015 दि० 22.01.2019

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन अपेक्षित है।

1. प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य संलग्न नहीं किया गया है।
2. रिटेल आउटलेट जिस भूमि पर स्थापित की जानी है, उसकी सत्यापित खतौनी संलग्न नहीं है।
3. भारत सरकार के पत्रांक-11-268/2014-एफ०सी० दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।
4. के०एम०एल० फाईल त्रुटिपूर्ण है। उसमें non-forest land स्थिति नहीं है। साथ ही forest land भी गलत दर्शायी गयी है।

(एस०डी०त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक २९४५ / दिनांकित।

प्रतिलिपि: वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०डी०त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।